(12)

तीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

UTTAR PRADESH

C 214

विक्रय पत्र, सब रजिस्ट्रार द्वितीय, मेरठ।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (आवासीय प्लाट)
2. वार्ड परगना
3. मौहल्ला ग्राम बाजौट तहसील व जिला मेरठ।
4. सम्पत्ति का विवरण आवासीय भूमि मध्ये खसरा नम्बर 386
5. मापन की इकाई (वर्ग मीटर)
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर
7. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है नही
8. प्रतिफल की धनराशि अंकन 10,00,000/- रूपये ।

1- विकीत भूमि अन्दर सीमा अर्द्धनगरीय क्षेत्र मेरठ है ।

2- स्टाम्प शुल्क अंकन 70,000/--रूपये ।

3 विक्रय मूल्य व सर्किल रेट के अनुसार बाजारी मूल्य अंकन 10,00,000/– दस लाख रूपये।

4- विकीत भूमि आवासीय है। तथा मुख्य हापुड रोड से रेलवे लाईन बाईपास पर स्थित है जिसका सर्किल रेट अंकन 4,000/ रूपये प्रति वर्ग मीटर नियत है। विकीत भूमि मौके पर समस्त खाली है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 213213

2

5— विकय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यता पूर्वक पालन किया है।

6— विकीत प्लाट को 50 मीटर की परिधि में कोई व्यवसायिक गतिविधि नही है।

विकय पत्र ओर से श्री महेश चन्द पुत्र स्व0 श्री हुकुम सिंह व श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिह व श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री भगवान सहाय निवासीगण ग्राम रिठानी परगना व तहसील, व जिला मेरठ

प्रथम पक्ष (विकेतागण)

व मैसर्स अब्बासी राष डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर (ए कम्पनी इनकोरपोरेटिड आण्डर दी इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अफसर अली निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर, जिन्हे बोर्ड आफ डायरैक्टर की बैठक मे पारित प्रस्ताव दिनांक 31.03.2013 ई0 द्वारा विकय विलेख पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया गया है

द्वितीय पक्ष (केता)

महेश चन्द   अंगूरी देवी   प्रेमचन्द   A. haque

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 959821

यह कि आवासीय भूमि रकबई 250 दो सौ पचास वर्ग मीटर, मध्ये खसरा नम्बरा 386 स्थित ग्राम बाजौट परगना व तहसील व जिला मेरठ को प्रथम पक्ष ने विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2003 ई0 द्वारा श्री रामपाल सिंह व श्री जयपाल सिह व श्री बसन्त पुत्रगण श्री प्रभाती व श्री मेवाराम व श्री ब्रहमपाल पुत्रगण श्री हरपाल निवासीगण ग्राम बाजौट परगना व तहसील व जिला मेरठ से क्रयकर कर वास्तविक स्वामी व पूर्णतः विक्रयाधिकारी है। जिसके आधार पर प्रथम पक्ष ने अपना नाम राजस्व अभिलेखो में भी दर्ज करा लिया है। उपरोक्त भूमि आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उऋण तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषो आदि से मुक्त एवं रहित है तथा प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि की जमानत पर किसी वित्तीय संस्था एवं बैंक आदि से कोई ऋण अथवा कर्जा प्राप्त नही किया है तथा न ही उपरोक्त भूमि को अपने हस्ताक्षरो से कहीं पर बन्धक अथवा भार ग्रस्त किया हुआ है। अर्थात् उपरोक्त भूमि आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि पाक व साफ है। प्रथम पक्ष को उक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त [illegible]

A. Nagar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 959822

तथा अधिकार प्राप्त है। तथा कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष के विक्रयाधिकारो में बाधक नही है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है जो इस समय का अधिक से अधिक बाजारी मूल्य है विकय करने में ही प्रथम पक्ष का पूरा – पूरा लाभ है। अतः प्रथम पक्ष ने अपने उक्त भूमि को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित बिना छोडे हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विकय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थित बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रियो की दशा में अंकन 10,00,000/– दस लाख रूपये विकय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल हक पुत्र श्री अफसर अली निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर, जिसे ऊपर द्वितीय पक्ष केता भी कहा गया है, को विकय कर दिया और बेच डाला ओर समस्त विकय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद निम्नलिखित विवरणानुसार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली द्वितीय पक्ष केता के अधिकार

A. Haqu

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 959817

स्वामित्व तथा वास्तविक आधिपत्य आदि मे देकर उनको अपनी भाँति वास्तविक स्वामी व पूर्णतया अधिकारी बना दिया है। अब विक्रेता का कोई सम्बन्ध विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नही रहा है और न रहेगा। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि में अपना भवन निमार्ण कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर नियमानुसार निर्मित कराये। यदि विक्रीत भूमि पर आज से पूर्व का कोई डयूज शेष पाया जायेगा तो उसे प्रथम पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेगे तथा आज के बाद स्वयं द्वितीय पक्ष वहन करेगे। यदि किसी वादी के वादवश अथवा किसी वैधानिक दोषवश उक्त भूमि सम्पूर्ण अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष क्रेती के अधिकार स्वामित्व एवं आधिपत्य आदि से निकल जायेगा अथवा उक्त भूमि पर कोई ऋण भार पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित अथवा मन्सूख करार पाया जायेगा जो द्वितीय पक्ष क्रेता को अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिये अदा या सर्फ करना पड जाये तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेती को अधिकार होगा कि वह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 959810

अपना समस्त विकय मूल्य अथवा उसका अंश व वाद व्यय आदि सहित मय लागत माबाद बैनामा जिस प्रकार उचित जाने वापस प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से प्राप्त करले। जिसमें किसी भी पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी " यह कि इस विकय पत्र में जहॉ कही भी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष कहा गया है, उसमें उनके आपने – अपने वैधानिक उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित माने जायेगे। अतः यह विकय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में लिख दिया कि प्रमाण रहे। इति:

माप व सीमाये विक्रीत भूमि ।

पूरब:– 224 फिट 3 इंच तत्पश्चात् बाईपास रोड।
पश्चिम:– 224 फिट 3 इंच तत्पश्चात् खेत हाजी इरफान आदि।
उत्तर:– 12 फिट तत्पश्चात् खेत हाजी इरफान आदि।
दक्षिण:– 12 फिट तत्पश्चात् खेत हाजी इरफान आदि।

A. Nagy

प्रेमचन्द

महेश चन्द्र

विवरण प्राप्ति धनराशि ।

समस्त विक्रय मूल्य अंकन 10,00,000/-- दस लाख रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद पूर्व में प्राप्त कर लिये है।

नक्शा नजरी

बैनामा मालियत/बाजारी मूल्य 10,00,000/- रूपये।

विक्रेता का नाम व पता श्री महेश चन्द आदि निवासी ग्राम रिठानी जिला मेरठ।

केता का नाम व पता मैसर्स अब्बासी राव डवलपर्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 94/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अब्दुल हक निवासी 111/10, शास्त्री नगर मेरठ शहर ।

सम्पत्ति स्थित ग्राम बाजौट जिला मेरठ

सम्पत्ति का विवरण आवासीय भूमि रकबई 250 वर्ग मीटर ।

उत्तर

पश्चिम ———————— पूरब

दक्षिण

विकीत भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क हापुड़ बाईपास रोड पर
2. आवासीय/वाणिज्यिक/भूमि/भवन/औधोगिक आवासीय
3. शैक्षिक/धर्मार्थ/स्वास्थ्य केन्द्र नही
4. औधोगिक संस्थान/कोल्ड स्टोरेज नही
5. गैस गौदाम/पैट्रोल पम्प/बस अड्डा नही

महेश चन्द

डमचन्द

A. Haqu

6. होटल / रैस्टोरैन्ट / मनोरंजन केन्द्र नही
7. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निर्गमित कार्यालय नही
8. अन्य नही

घोषणा– किसी तथ्य को छिपाया नही गया है तथा गलत वर्णन अंकित नही किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक :– 14.06.2013 ई0 मसविदा व फोटो का सत्यापन अनिल कुमार शर्मा दस्तावेज लेखक मेरठ ।

Document Writer
Registry Compound
Kutchery, Meerut